

फर्ट अहकॉम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

- ① कानारम पुत्र खरपा राम कौर बनाम पक्षयुक्त अभियन्ता लवजपतिष्ठ निर्माण विभाग
- ② जारी जारी नि: मगलै की बेटी नौखडा चमेरा ③
- ④ वदलीसदार नौखडा

किस्म मुकदमा राजस्थान वाद अधि. मुकदमा नम्बर 111/23

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 21/8/23 | प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>दलाराम</u> ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>188</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/8/23</u> को पेश हो। | |
| 29/8/23 | पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण अच्युतप्रिया शर्मा इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 31/10/2023 को पेश हो | सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी |
| 31/10/23 | पत्रावली पेश हुई। आज हम दीनार आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्यादि होकर पत्रावली आडम्बा 2/2/24 को पेश हो। | सहायक कलक्टर गुडामालानी |
| 2/2/24 | पत्रावली पेश हुई। आज हम दीनार आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्यादि होकर पत्रावली आडम्बा 11/4/24 को पेश हो। | |
| 03/04/24 | पत्रावली आज पेश हुई। दिनांक 11/4/24 को मकामला घोषित होने के पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अच्युतप्रिया शर्मा वादीगण अच्युतप्रिया शर्मा वादीगण के मय अच्युतप्रिया कोई समय में तीक कार तीक-तीक काकोके डिलाई गये वादद्वय काकोके डिलाई के अच्युतप्रिया रहने के अन्त उपरान्त एकसय वादीगण की कदम इत्यादि व काफ पेशदी में कारिक किया जाता है पत्रावली निर्णय सुकार होकर कारिकल उपर हो। | |

